

राजस्थान सरकार

ई-मेल

कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, कोटा (राजस्थान)

क्रमांक :— जी.पी.के./कय/NGF./खु.नि.सू.सं.01/2017-18/6699

दिनांक—23-02-2018

निदेशक, (विज्ञापन)

सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय,
राजस्थान जयपुर।

विषय:- खुली निविदा सूचना प्रकाशित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि निविदा सूचना हिन्दी के समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु 5 प्रतियाँ मय सोफ्ट कॉपी के (सी.डी. सहित) संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। कृपया इस निविदा को नियमानुसार एक राज्य स्तर एवं एक क्षेत्रीय समाचार पत्र में शीध्र प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करें।

संलग्न:- निविदा सूचना 5 प्रति मय सी.डी.

(वी.एस.शर्मा) 2212
प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, कोटा।

क्रमांक :— जी.पी.के./कय/एन.जी.एफ./खु.नि.सं. 1/ 2017-18/

दिनांक:-

प्रतिलिपि:- 1. निदेशक प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राज०, जोधपुर

2. श्री विनोद कुमार प्रवक्ता कम्प्यूटर को भेजकर लेख है कि इसे राज. लोक उपापन नियम की वेबसाईट पर अपलोड करें। एवं श्री राजेश चंद्र दाधीच प्रवक्ता कम्प्यूटर को भेजकर लेख है कि इसे महाविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करें।
3. श्री राजेश कुमार शर्मा HOD/श्री अखिलेश कुमार व.प्रवक्ता/श्री जमील अहमद अंसारी सहा.लेखाकार Gr-II
4. कार्यालय अध्यक्ष / प्रभारी सम्पदा अधिकारी
5. भण्डार पाल को देकर लेख है कि निविदा प्रकाशन के प्राप्त बिलों को सत्यापित कर केशियर अराजकीय निधि को भुगतान हेतु प्रस्तुत करेंगे।
6. कैशियर अराजकीय निधि को देकर लेख है कि स्टोर से प्राप्त सत्यापित बिलों का सम्बन्धित को भुगतान करें।

प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, कोटा।

राजस्थान सरकार

कार्यालय प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, कोटा।

क्रमांक :—जी.पी.के./क्रय/NGF./नि.सं.1/2018—19/6698

दिनांक:—23—02—2018

:—खुली निविदा सूचना संख्या—01—:

वर्ष 2018—19 हेतु संस्था के लिए संस्था में सफाई का कार्य हेतु श्रम विभाग द्वारा पंजीकृत संस्था/संवेदकों से एक वर्षीय अनुबन्ध हेतु मोहर बन्द लिफाफों में निविदाएँ के अनुसार आमंत्रित की जाती है।

क्रम संख्या	विभाग का नाम	अनुमानि लागत रु.लाखो में	निविदा शुल्क	धरोहर राशि	निविदा उपलब्ध हाने की दिनांक
1	संस्था में सफाई कार्य (जी शिड्यूल अनुसार)	3.50	200/-	7000/-	05-03-2018 से 15-3-2018 प्रातः 12 बजे तक

नोट:— निविदा की सभी शर्तें एवं जी शिड्यूल्ड निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न होगी। धरोहर राशि अनुमानित राशि की 2% निविदा के साथ जमा करानी होगी। जो बैकरं चैक/बैकं ड्राप्ट के रूप में प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, कोटा के नाम होगी। बिना धरोहर राशि के निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। किसी भी की निविदा को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार अघोषस्ताक्षरकर्ता को होगा। निविदाए मय जी शिड्यूल के दिनांक 15—03—2018 प्रातः12.00 बजे तक विक्रय की जाकर उसी दिन दिनांक 15—03—2018 को दोपहर 2.00 बजे तक महाविद्यालय कोटा में स्वीकार की जायेगी। प्राप्त निविदाएँ दिनांक 15—3—2018 को दोपहर 3.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समुख खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र महाविद्यालय की वेबसाइट www.gpck.rejsthan.gov.in एवं sppp.raj.nic.in से डाउनलोड कर मय निर्धारित शुल्क व धरोहर राशि के साथ महाविद्यालय में जमा करवायी जा सकती हैं।

(वी.एस.शर्मा) 2212
प्रधानाचार्य

राजकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, कोटा।

**GOVERNMENT OF RAJASTHAN
OFFICE OF THE PRINCIPAL GOVT. POLYTECHNIC COLLEGE, KOTA**

No.GPK/Pur./Q.----/ /2018-19/

Dated:-

M/S -----

Sub:- Tender documents for the Tender Notice No. 01/2018-19 dated:- (Tender N0.-----)

Ref :- Your letter No.Dated :

M.O./I.P.O./D.D./Cash for Rs :G.A.55 No.

Dear Sir,

Enclosed please find herewith the following documents against above tender notice, as desired vide your letter cited above :-

- 1 Tender form.
- 2 Tender Notice
- 3 Genral conditions of tender and contract.
- 4 List showing the specifications for the stores/goods and approximate quantity required.

SPECIAL INSTRUCTIONS :-

The tender should be send in double cover envelope. The inner envelope should contain the rates quoted by the tenderer. Sepatare envelope should be used for each set of tender.

The outer envelople should contain the following with the tender's forwarding letter :-

- 1 Tender form duly signed & sealed.
- 2 General conditions of tender & contract duly signed & sealed
- 3 The envelope containing the rates.
- 4 The Demand Draft for earnest money for the complete sets as a whole or separately or a proof of exemption from it thereof.
- 5 The Seles Tex Clearance Certificate.
- 6 No tender without earnest money & Sales Tax clearance certificate will be entertained. For
- 7 E.M. see condition No. 29 of general condition enclosed.

Yours faithfully
Sd/-
PRINCIPAL
GOVT. POLYTECHNIC COLLEGE, KOTA

राजस्थान सरकार
कार्यालय प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, कोटा

—: निविदा प्रारूप :—

1. सफाई कार्य (Job basis) हेतु निविदा संख्या 1 निविदा सूचना संख्या 1/2018-19
2. निविदा प्रस्तुत करने वाले निविदादाता का नाम व पता

.....फोन

नं.मोबाइल नम्बर

3. प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, कोटा
4. सन्दर्भ जी.पी.के./क्र्य/एन.जी.एफ./खु.नि.सं. 1/2018-19/6698 दिनांक 23-02-2018 द्वारा जमा।
5. निविदा शुल्क राशि रूपये 200/- नकद रसीद संख्या.....दिनांक.....द्वारा जमा।

6. प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, कोटा द्वारा जारी की गई खुलीनिविदा सूचना संख्या 1/2018-19 में वर्णित सभी शर्तें तथा निविदा फार्म में वर्णित शर्तें स्वीकार करते हैं। स्वीकार करने के प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कर दिये हैं।

7. (Job basis) पर वार्षिक अनुबन्ध के तहत सफाई कार्य की दर प्रतिमाह :-

- राजकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय कोटा परिसर में स्थित समस्त शौचालय एवं संस्थान के अन्दर के गलियारे, दीवारों के जाले आदि तथा संस्थान के अन्दर स्थित सड़कें तथा दोनों मुख्य द्वार आदि स्थानों की समुचित सफाई व्यवस्था।
- परिसर में अनुपयोगी, जंगली झाड़ियाँ तथा छोटे मोटे जंगली वृक्ष भी काटकर सफाई करनी होगी।
- अन्य सभी सफाई कार्य जो संस्थान प्रधान द्वारा बतायें जायें एवं जी शिड्यूल अनुसार

|

8. बैंक ड्राफ्ट / बैंकर चैक संख्यादिनांक.....जो बैंकशाखा.....पर आहरित किया गया है। नकद रसीद संख्या.....दिनांक.....रूपये 7000/-धरोहर राशि के रूप में जमा करवा दिये हैं।

9. सेवाकर पंजीयन प्रमाण पत्र, आयकर पैन नम्बर प्रमाण पत्र श्रम विभाग के पंजीयन प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न है।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

राजस्थान सरकार

कार्यालय प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, कोटा।

क्रमांक :—जी.पी.के./क्र. /NGF./नि.सं.1/2018–19/6698 दिनांक: 23–02–2018

खुली निविदा सूचना संख्या—01

वर्ष 2018–19 हेतु संस्था के लिए संस्था में सफाई का कार्य हेतु श्रम विभाग द्वारा पंजीकृत संस्था/संवेदकों से एक वर्षीय अनुबन्ध हेतु मोहर बन्द लिफाफों में निविदाएँ के अनुसार आमंत्रित की जाती है।

क्रम संख्या	विभाग का नाम	अनुमानि लागत रु.लाखो में	निविदा शुल्क	धरोहर राशि	निविदा उपलब्ध हाने की दिनांक
1	संस्था में सफाई कार्य (जी शिड्यूल अनुसार)	3.50	200/-	7000/-	05-03-2018 से 15-3-2018 प्रातः 12 बजे तक

नोट:- निविदा की सभी शर्तें एवं जी शिड्यूल्ड निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न होगी। धरोहर राशि अनुमानित राशि की 2% निविदा के साथ जमा करानी होगी। जो बैंकरं चैक/बैंक ड्राप्ट के रूप में प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, कोटा के नाम होगी। बिना धरोहर राशि के निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। किसी भी की निविदा को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा। निविदाएँ मय जी शिड्यूल के दिनांक 15–03–2018 प्रातः12.00 बजे तक विक्रय की जाकर उसी दिन दिनांक 15–03–2018 को दोपहर 2.00 बजे तक महाविद्यालय कोटा में स्वीकार की जायेगी। प्राप्त निविदाएँ दिनांक 15–3–2018 को दोपहर 3.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समुख खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र महाविद्यालय की वेबसाइट www.gpck.rajasthan.gov.in एवं sppp.raj.nic.in से डाउनलोड कर मय निर्धारित शुल्क व धरोहर राशि के साथ महाविद्यालय में जमा करवायी जा सकती हैं।

(वी.एस.शर्मा)
प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, कोटा।

खुली निविदा के लिए निविदा एवं संविदा की शर्तें

(देखिए नियम 68)

टिप्पणी— निविदादाताओं को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा अपनी निविदाएं भेजते समय इनकी पूर्णरूपेण पालना करनी चाहिए।

1. निविदाओं को निविदा सूचना में दिए गए निर्देशों के अनुसार उचित रूप से मुहरबन्द लिफाफे में बन्द करना चाहिए।

2. वास्तविक डीलरों (Bonafide dealers) द्वारा निविदाएँ— निविदाएं मालों के वास्तविक डीलरों द्वारा दी जायेगी। अतः वे एस. आर. प्ररूप 11 में एक घोषणा प्रस्तुत करेंगे।

3. (1) फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित में ठेकेदार द्वारा दी जायगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से, फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जाएगा।

(2) संविदा के सम्बन्ध में फर्म के किसी भी नए भागीदार/भागीदारों के ठेकेदार द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिए बाध्य नहीं हों जाते एवं क्रेता अधिकारी को इस सम्बन्ध में लिखित इकरार नामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिए ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप में स्वीकार की गयी किसी भागीदार की रसीद उन सबको बाध्य करेगी तथा वह संविदा के किसी प्रयोजन के लिए पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (िर्स्चार्ज) होगी।

4. GSTकर पंजीयन एवं शोधन प्रमाण पत्र (Cerarance Certificate)— कोई भी डीलर जहां उसका व्यवसाय स्थित है, यदि राज्य में प्रचलित GST वेट कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है तो वह निविदा नहीं देगा। GSTवेट कर पंजीयन संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए तथा सम्बन्धित सरकारी के वाणिज्यिक कर अधिकारी से वेट कर शोधन प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाएगा तथा इसके बिना निविदा को रद्द कर दिया जाएगा।

5. विलोपित

6. निविदा प्ररूप स्थाही से भरा जाएगा या टंकण से भरा जाएगा। पैसिल से भरी गयी किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायगा। निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में निविदा की समस्त शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।

7. दरे शब्दों एवं अकों दोनों में लिखी जाएंगी। इसमें कोई त्रुटियां (Error) एवं/या उपरिलेखन नहीं होना चाहिए। यदि कोई शुद्धियां करनी हों तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं दिनांक सहित उन पर लघुहस्ताक्षर किए जाने चाहिए। दरों में राजस्थान वेट कर एवं केन्द्रीय बिक्री करों की राशि को पृथक से दिखाना चाहिए।

8. दरें गन्तव्य स्थान तक एफ.ओ.आर उद्धृत की जानी चाहिए तथा उसमें सभी आनुषंगिक (Incidental) प्रभारों को शामिल करना चाहिए। किन्तु चुंगीकर, केन्द्रीय/राजस्थान वेट कर को शामिल न करके इन्हें अलग से दिखाया जाना चाहिए। स्थानीय प्रदायों (सप्लाइज) के मामले में दरों में समस्त करों आदि को शामिल करना चाहिए तथा सरकार द्वारा कोई गाड़ी भाड़ा (कॉर्टज) या परिवहन प्रभारों का सरकार द्वारा भुगतान नहीं किया जाएगा तथा माल की सुपुर्दगी क्रेता अधिकारी के परिसरों पर दी जाएंगी। खरीदे जाने वाले माल कार्यालयों के उपयोग के लिए होते हैं, इन पर चुंगीकर (ऑक्ट्राय) का भुगतान नहीं किया जाता है। अतः इन दरों में चुंगी कर एवं स्थानीय करों आदि को शामिल नहीं करना चाहिए। यदि खरीदे जाने वाले माल पुनः बिक्री करने के लिए या बिक्री हेतु किसी माल के विनिर्माण के रूप में उपयोग में लेने को हैं तो इन दरों में चुंगीकर (ऑक्ट्राय) एवं स्थानीय करों को शामिल किया जाएगा। पूर्व की दशा में विहित प्ररूप में एक प्रमाणपत्र सप्लाई आदेश के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

9. (1) दरों की तुलना— राजस्थान के बाहर की फर्मों द्वारा तथा राजस्थान के भीतर की उन फर्मों द्वारा, जो नियमों के अन्तर्गत मूल्य अधिमान के लिए अधिकृत नहीं हैं, निविदत दरों की तुलना करने में, राजस्थान वेट कर की राशि को शामिल नहीं किया जाएगा जबकि केन्द्रीय बिक्री कर को इसमें शामिल किया जाएगा।

(2) राजस्थान के भीतर की फर्मों के सम्बन्ध में दरों की तुलना करते समय, राजस्थान वेट कर की राशि को शामिल किया जाएगा।

10. मूल्य अधिमान— मूल्य अधिमानता/अधिमानता राजस्थान के उद्योगों द्वारा उत्पादित या विनिर्मित मालों पर या राजस्थान के बाहर उद्योगों द्वारा उत्पादित या विनिर्मित मालों की तुलना में भण्डार क्रय (राजस्थान के उद्योगों को अधिमानता) नियम, 1995 के अनुसार दी जायेगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर

11. विधि मान्यता : निविदायें , उनके खोले जाने के दिनांक से तीन माह की अवधि के लिए विधिमान्य होगी ।

12. अनुमोदित प्रदायकर्ता (सप्लायर) के लिए यह समझा जाएगा कि उसने प्रदाय की जाने वाली वस्तुओं की दशा , स्पेसीफिकेशन , साइज , मे एवं ड्राइंग आदि की सावधानीपूर्वक जांच कर ली हैं। यदि उसे इन शर्तों के किसी भाग स्पेसीफिकेशन ड्राइंग आदि के आशय के बारे में कोई सन्देह हो तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व उसे क्रेता अधिकारी को भेजेगा | तथा उससे स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा ।

13. ठेकेदार अपने संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य ऐजेन्सी के लिए नहीं सौंपेगा या उप-भाड़े (सब लेट) पर नहीं देगा ।

14. विशेष विवरण (स्पेसीफिकेशन्स) : (1) प्रदाय की गयी सभी वस्तुएं निविदा में निर्धारित स्पेसीफिकेशन , ट्रेडमार्क के पूर्णतया अनुरूप होगी तथा जहां पर वस्तुओं की आई. एस. आई स्पेसीफिकेशन के अनुसार अपेक्षा की गई हो उन मदों को पूर्ण रूप से उन स्पेसीफिकेशन के अनुरूप होना चाहिए तथा उस पर वह मार्क होना चाहिए ।

(2) तारा चिन्ह से अंकित/क्रम संख्या.....पर अकित वस्तुओं का प्रदाय अन्य बातों के साथ अनुमोदित नमुनों के ठीक अनुरूप होगा तथा अन्य पदार्थों के मामले में जहां कोई स्तरीकृत या अनुमोदित नमुना न हो अत्युतम गुणवता एवं विवरण की वस्तु का प्रदाय किया जाएगा । क्रेता अधिकारी/क्रेता समिति का इस सम्बन्ध में कि क्या प्रदाय की गई वस्तुएं स्पेसीफिकेशन के अनुरूप छें तथा क्या वे सम्पुल यदि कोई हो के अनुसार किया गया निर्णय निविदादाताओं के लिए अन्तिम एवं मान्य होगा ।

(3) वारंटी एवं गारंटी का खंड : निविदादाता यह गारंटी देगा कि माल/स्टोर्स/वस्तुएं खरीदे जाने वाले उस माल /स्टोर्स/वस्तुओं की सुपुर्दगी के दिनांक से दिनों/माहों की अवधि के लिए यथा विनिर्दिष्ट विवरण एवं गुणवता के अनुरूप बनी रहेंगी तथा इस तथ्य के बावजूद कि क्रेता ने उक्त मालों/स्टोर्स/वस्तुओं का निरीक्षण कर लिया हो एवं/या उन्हें अनुमोदित कर दिया हो , यदि.....दिनों/माहों की उक्त अवधि में उक्त मालों/स्टोर्स/वस्तुओं को उपरोक्त विवरण एवं गुणवता के अनुरूप नहीं पाया गया या वे समाप्त हो गए हैं (तथा उस सम्बन्ध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम व परिणामी होगा) तो क्रेता उक्त मालों/स्टोर्स/वस्तुओं को या उनके उस भाग को जो उक्त विवरण एवं गुणवता के अनुरूप नहीं पायें जाएंगे रद्द करने के लिए अधिकृत होगा । ऐसे रद्द किये जाने पर माल/स्टोर्स/वस्तुएं विक्रेता की जोखिम पर होगी तथा माल आदि को रद्द करने से सम्बन्धित समस्त उपबंध लागू होंगे । निविदादाता यदि उसे ऐसा करने के लिए कहा गया तो वह उस माल आदि को या उसके उस भाग को जिसे क्रेता अधिकारी द्वारा रद्द कर दिया गया है बदल देगा अन्यथा निविदादाता ऐसी क्षति के लिए भुगतान करेगा जो इसमें दी गई शर्त के उल्लंघन के कारण उत्पन्न होगी । इसमें दी गयी कोई भी बात से इस संविदा के अधीन या अन्यथा उस सम्बन्ध में क्रेता अधिकारी के किसी अन्या अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी ।

(4) मशीनों एवं उपकरणों के मामले में भी उक्त खण्ड (11) में उल्लिखित किए गए अनुसार गारंटी दी जाएगी तथा निविदादाता गारंटीकृत अवधि में पूर्जी को बदलेगा या किसी भी विनिर्माण की कमी को दूर करेगा यदि उक्त अवधि में उन्हें वैसा पाया जायेगा ताकि मशीन एवं उपकरण ठीक काम कर सकें । निविदादाता मशीनों एवं उपकरणों को भी बदलेगा यदि वे ऐसे दोषपूर्ण पाये जाएं कि विनिर्माण की त्रुटि आदि के कारण उन्हें काम में नहीं लिया जा सकता हो ।

(5) क्रेता अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट मशीन एवं उपकरण के मामले में निविदादाता ऐसी शर्तों पर जो उनके बीच स्वीकार की जाएंगी वार्षिक रखरखाव (मेटीनेस) एवं मरम्मत करने के लिए उतरदायी होगा । निविदादाता किसी विशिष्ट प्रकार की मशीनरी के लिए आवश्यक स्पेयर पार्ट्स एवं उपकरणों की नियमित समुचित सप्लाई करने के लिए भी होगा चाहे वे मशीनों या उपकरण वार्षिक रखरखाव व मरम्मत की दर संविदा के अधीन हों या अन्यथा हों । मॉडल में परिवर्तन के मामले में वह क्रेता अधिकारी को पर्याप्त समय पूर्व सूचना देगा । क्रेता अधिकारी अपनी मशीनों एवं उपकरणों को पूर्ण रूप से कार्यकारी दशा में रखने के लिए उनसे स्पेयर पार्ट्स खरीदना पसन्द कर सकेगा ।

15. निरीक्षण :

(क) क्रेता अधिकारी या उसका विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि सभी युक्तियुक्त उचित समयों पर प्रदायकर्ता के परिसर में जायेगा तथा वह विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान या उसके बाद जैसा भी निश्चय किया जाएगा किसी भी समय मालों/उपकरणों/मशीनों की सापग्री एवं कर्मकौशल का निरीक्षण एवं जांच करनें की शक्ति रखेगा ।

(ख) निविदादाता अपने कार्यालय के परिसर गोदाम एवं वर्कशाप का जहां पर निरीक्षण किया जा सकता है पूर्ण पता उस व्यक्ति के नाम व पते के साथ देगा जिससे उस प्रयोजन के लिए सम्पर्क करना होगा । उन डीलरों के मामले में जो व्यवसाय में नए रूप में प्रविष्ट हुए हैं उन्हें बैंकर्स से एक परिचय-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा ।

निविदादाता के हस्ताक्षर

16. सैम्पुल : अनुसूची में अंकित वस्तुओं के लिए निविदाओं के साथ उचित रूप से चेक की गई निविदत्त वस्तुओं के दो नमूने प्रस्तुत किए जाएंगे। ऐसे सैम्पुल यदि व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किए जाएंगे तो कार्यालय में प्राप्त किये जायेंगे। सैम्पुल प्राप्त करने वाले अधिकारी द्वारा प्रत्येक सैम्पुल के लिए एक रसीद दी जाएगी। यदि ये सैम्पुल ट्रेन आदि से भेजे जाते हैं, तो इन्हें भुगतान कर भाड़ द्वारा भिजवाने चाहिए तथा आर/आर या जी.आर. एक पृथक रजिस्टर्ड लिफाफे द्वारा भेजी जानी चाहिए। केटरिंग/खाद्य पदार्थों के नमूने प्लास्टिक बॉक्स/पोलीथीन के थैले में निविदाता के मूल्य से रखे जाने चाहिए।

17. प्रत्येक सैम्पुल या किसी स्लिप पर या तो लिखकर या नमूने के साथ एक मजबूत कागज सुरक्षित ढंग से बांध कर उसे उपयुक्त रूप से चिन्हित किया जाएगा तथा उस पर निविदादाता का नाम मद की क्रम संख्या जिसका वह अनुसूची में नमूना है आदि लिखे जाएंगे।

18. अनुमोदित सैम्पुलों को संविदा के समाप्त होने के बाद छह माह की अवधि तक निःशुल्क रखा जाएगा। इस अवधि में इन सैम्पुलों को प्रतिधारित (Retained) किया जाएगा परन्तु उसमें किसी भी क्षति टूटफूट परीक्षण जांच आदि के दौरान हानि के लिए सरकार उत्तरदायी नहीं होगी।

निर्धारित अवधि की समाप्ति पर निविदादाता द्वारा सैम्पुलों को वापस लिया जाएगा। सरकार किसी भी रूप में उन्हें लौटने की व्यवस्था नहीं करेगी। संविदा समाप्त होने की अवधि के बाद यदि 9 माह की अवधि के भीतर कोई सैम्पुल प्राप्त नहीं किए जाते हैं तो उन्हें सरकार द्वारा समपहत (Forefeite) कर लिया जाएगा तथा उनकी लागत आदि के लिए कोई क्लेम स्वीकार नहीं किया जाएगा।

19. असफल निविदादाताओं द्वारा अनुमोदित नहीं किए गए नमूनों को इकट्ठा किया जाएगा। जिस अवधि में इन नमूनों को रखा जाता है उसमें किसी भी प्रकार की क्षति टूट-फूट या परीक्षण जाँच आदि के दौरान हानि के लिए सरकार उत्तरदायी नहीं होगी। जो नमूने वापस नहीं लिए जाएंगे उन्हें समपहत किया जाएगा तथा उनकी लागत आदि के लिए किसी भी दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

20. सप्लाई जब भी प्राप्त की जाएगी उनका निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि वे स्फेसिफिकेशन या अनुमोदित नमूनों के अनुरूप हैं। जहां आवश्यक हो या विहित किया गया हो या व्यावहारिक हो वहां परीक्षण सरकारी प्रयोगशालाओं प्रतिष्ठित परीक्षण गृहों जैसे श्री राम टेस्टिंग हाउस नई दिल्ली एवं तत्समान परीक्षण गृहों में कराया जाएगा तथा जहां पर सप्लाई किया गया सामान इन परीक्षणों के परीक्षणों के परिणामस्वरूप विहित स्पेसीफिकेशन्स के स्तर के अनुरूप पाया जाएगा उन्हें स्वीकार किया जाएगा।

21. सैम्पुल निकालना (Drawing of Samples) : परीक्षणों के मामले में निविदादाता या उसके प्राधिकरण की उपस्थिति में चार सेटों में सैम्पुल लिए जाएंगे तथा उन्हें उनकी उपस्थिति में उचित प्रकार से मुहरबन्द किया जाएगा। उनमें से एक सेट उन्हें दे दिया जाएगा एक या दो सेटों का प्रयोगशालाओं एवं/या परीक्षण गृहों में भिजवा दिया जाएगा तथा तिसरा या चौथा सेट संदर्भ एवं अभिलेख के लिए कार्यालय में प्रतिधारित किया जाएगा।

22. परीक्षण प्रभार : परीक्षण प्रभार सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे। यदि निविदादाता अत्यावश्यक तत्काल परीक्षण कराना चाहता हो या यदि परीक्षण परिणामों से यह ज्ञात हो कि सप्लाई किया गया सामान विहित स्तरों या स्पेसीफिकेशन्स के अनुसार नहीं है तो परीक्षण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किए जायंगे।

23. रद्द करना (Rejection) : (1) निरीक्षण या परीक्षण के दौरान जो वस्तुएं अनुमोदित नहीं की जाएंगी उन्हें रद्द किया जाएगा तथा निविदादाता द्वारा उन्हें क्रेता अधिकारी द्वारा निश्चित किए गए समय के भीतर अपनी स्वयं की लागत पर बदला जाएगा।

(2) तथापि यदि सरकारी कार्य की तात्कालिक आवश्यकता के कारण पूर्ण या आशिक रूप में उन वस्तुओं को बदलना साध्य (feasable) नहीं समझा जाए तो क्रेता अधिकारी निविदादाता को सुनवाई किए जाने का एक उचित अवसर देकर ऐसे कारणों से जो अभिलेखित किए जाएंगे अनुमोदित दरों में से उपयुक्त राशि की कटौती करेगा। इस प्रकार की गयी कटौती अन्तिम होगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर

24. रद्द की गयी वस्तुओं को निविदादाता उन्हें रद्द करने की सूचना प्राप्त करने से 15 दिन के भीतर हटा लेगा इसके बाद क्रेता अधिकारी किसी भी प्रकार की हानि कमी या क्षति के लिए उत्तरायणी नहीं होगा तथा उसे निविदादाता का जोखिम एवं उसके लेखे पर उन वस्तुओं को जिन्हे वह उचित समझे बेचने का अधिकार होगा।

25. निविदादाता उचित पैकिंग करने के लिए उत्तरायणी होगा ताकि समुद्र रेल सड़क या वायुयान द्वारा परिवहन की सामान्य स्थिति में उनमें कोई क्षति न हो तथा गन्तव्य स्थल पर माल प्राप्त प्राप्तकर्ता को माल की सुपुर्दगी अच्छी दशा में प्राप्त हो सके। किसी प्रकार की हानि क्षति टूटफूट या रिसाव (लिकेज) या किसी कमी के होने के मामले में निविदादाता माल प्राप्तकर्ता द्वारा उन सामग्रियों की जॉच/निरीक्षण किये जाने पर पायी गयी ऐसी हानि एवं कमी की पूर्ति करने के लिए उत्तरायणी होगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त लागत स्वीकार नहीं की जाएगी।

26. प्रदाय हेतु संविदा को यदि माल की सप्लाई क्रेता अधिकारी की सन्तुष्टि के अनुसार नहीं की जाती है तो निविदादाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद क्रेता अधिकारी किसी भी समय निराकृत (repudiate) कर सकता है। वह इस प्रकार निराकृत करनें के कारणों को अभिलिखित करेगा।

27. निविदादाता का उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता (Disqualification) होगी।

28. (1) सुपुर्दगी अवधि : निविदादाता जिसकी निविदा स्वीकार की जाएगी वह सप्लाई आदेश की तारीख से की अवधि के भीतर तक निम्न प्रकार सामान के सप्लाई करने की व्यवस्था करेगा :-

क्रम संख्या	मद	मात्रा	सुपुर्दगी अवधि
-------------	----	--------	----------------

(2) मात्रा की सीमा-आदेश को फिर से देना : यदि निविदा सूचना में दर्शित मात्रा से अधिक के लिए आदेश दिया जाता है तो निविदादाता अपेक्षित सप्लाई की पूर्ति करने के लिए बाध्य होगा। पुनः आदेश (Repeat Ordres) भी निविदा में दी गयी शर्तों पर दिए जा सकेंगे परन्तु शर्त यह कि ऐसे पुनरादेश मूल रूप में खरीदी गयी मात्रा की 50 प्रतिशत तक की सप्लाई के लिए ही होंगे तथा ऐसे आदेश देने की अवधि अन्तिम माल प्रदाय करने के दिनांक से एक माह से अधिक बाद की नहीं होगी। यदि निविदादाता ऐसी सप्लाई करनें में असमर्थ रहता है तो क्रेता अधिकारी अवशेष सामान की सप्लाई की व्यवस्था सीमित निविदा द्वारा या अन्यथा प्रकार से करनें के लिए रूपरूप रूपरूप होगा तथा जो भी अतिरिक्त लागत व्यय की जाएगी उसकी निविदादाता से वसुली की जाएगी।

(3) यदि क्रेता अधिकारी किन्हीं निविदत वस्तुओं की खरीद नहीं करता है या निविदा प्रपत्र में निर्दिष्ट मात्रा से कम मात्रा में माल खरीदता है तो निविदादाता किसी क्षतिपूर्ति का क्लेम करने के लिए अधिकृत नहीं होगा।

29. बयाना राशि (अर्नेस्ट मनी) :

(क) निविदा के साथ रु. की बयाना राशि प्रस्तुत की जाएगी। इसके बिना निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा। यह राशि प्रधानानाचार्य राजकीय पोलिटेक्निक महाविद्यालय कोटा के पक्ष में निम्नलिखित में से किसी भी रूप में जमा करायी जानी चाहिए।

(1) नकद शीर्ष 8443— सिविल निक्षेप-103 प्रतिभूति निक्षेप के अन्तर्गत ट्रेजरी चालान से जमा कराया जाना चाहिए।

(2) शिड्यूल बैंक का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक।

(ख) बयाना राशि का प्रतिदाय (Refund of Earnest Money) रु असफल निविदादाता की बयाना राशि निविदा को अन्तिम रूप से स्वीकार करने के बाद यथाशक्य शीघ्र लौटायी जाएगी।

(ग) बयाना राशि से छूट : उन फर्मों को जो निदेशक उद्योग विभाग राजस्थान के पास पंजीकृत हैं उन मदों के सम्बन्ध में जिनके लिए वे उक्त रूप में रजिस्टर्ड की गई है उनके द्वारा मूल पंजीयन प्रमाण-पत्र या उसकी फोटोस्टेट प्रति या किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने पर निविदाये आमंत्रित करने की सूचना में दिखाए गए निविदा के अनुमानित मूल्य के 1 प्रतिशत की दर पर बयाना राशि जमा करानी होगी।

(घ) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान के उपक्रमों को कोई बयाना राशि प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

(ङ) अनुमोदन की प्रतीक्षा करने वाली या रद्द की गयी या संविदाओं के पूर्ण हो जाने के कारण विभाग/कार्यालय के पास जमा बयाना राशि/प्रतिभूति निक्षेप को नयी निविदाओं के लिए बयाना राशि/प्रतिभूति धन के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा। तथापि यदि निविदाओं को पुनः आमंत्रित किया जाता है तो बयाना राशि को उपयोग में लिया जा सकता है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

30. बयाना राशि का समर्पण : बयाना राशि को निम्नलिखित मामलों में समर्पहत कर लिया जाएगा—

- (1) जब निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें उपरान्त (modification) करता है।
- (2) जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को यदि कोई हो निष्पादित नहीं करता हो।
- (3) जब निविदादाता प्रदायगी के लिए आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं करता हो।
- (4) जब वह विहित समय के भीतर सप्लाई आदेश के अनुसार मदों की सप्लाई प्रारम्भ करने में असफल रहता हो।

31. (1) करार एवं प्रतिभूति निष्केप (Agreement and Security Deposit) :

(i) सफल निविदादाता को आदेश के प्राप्त होने से 7 दिन की अवधि के भीतर प्ररूप 17 में एक करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा जिन सामानों (स्टोर्स) के लिए निविदाएं स्वीकार की गयी हैं उनके मूल्य के 5 प्रतिशत के बाबार प्रतिभूति जमा करानी होगी। यह प्रतिभूति प्रेषण के उस दिनांक से जिसको निविदा के स्वीकार किए जाने की सूचना उसे दी गयी है 15 दिन के भीतर जमा करायी जाएगी।

(ii) निविदा के समय जमा करायी गयी बयाना राशि को प्रतिभूति कि राशि के लिए समायोजित किया जाएगा। प्रतिभूति की राशि किसी भी दशा में बयाना राशि से कम की नहीं होगी।

(iii) प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा व्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(iv) प्रतिभूति राशि के रूप निम्न प्रकार होंगे—

(क) नकद / बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक / चालान की रसीदी प्रति

(ख) डाकघर बचत बैंक पास बुक जिसे विधिवत गिरवी (Pledge) रखा जाएगा।

(ग) अल्प बचतों को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय बचत योजनाओं के अन्तर्गत राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र डिफेंस सेविंग्स सर्टिफिकेट्स किसान विकास पत्र या कोई अन्य स्क्रिप्ट / विलेख यदि उन्हें गिरवी रखा जा सकता हो। इन प्रमाण पत्रों को उनके समर्पण मूल्य (सरेण्टर वेल्यू) पर स्वीकार किया जाएगा।

(v) एक समय पर खरीद के मामले में क्रय आदेश के अनुसार मदों की अन्तिम सप्लाई से एक माह के भीतर तथा यदि सुपुर्दगी के सान्तर (Staggered) किया जाता है तो दो माह के भीतर उसके लिए संविदा के सन्तोषजनक रूप से पूर्ण कर दिए जाने के बाद या गारण्टी की अवधि यदि हो के समाप्त होने के बाद जो भी बाद में हो तथा इससे सन्तुष्ट हो जाने पर कि निविदादाता के विरुद्ध कोई देय बकायाएं (Outstanding Dues) नहीं हैं प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय किया जाएगा।

(2) (i) निवेशक उद्योग विभाग राजस्थान के पास रजिस्ट्रीकूट फर्मों को उन सामानों के सम्बन्ध में जिनके लिए वे रजिस्टर्ड हैं उनके द्वारा निवेशक उद्योग से पंजीयन की विधिवत अनुप्रमाणित एक प्रति प्रस्तुत किए जाने पर बयाना राशि के भुगतान से आंशिक छूट दी जाएगी तथा वे निविदा के अनुमानित मूल्य के 1 प्रतिशत की दर पर प्रतिभूति निष्केप का भुगतान करेंगे।

(ii) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान के उपक्रम प्रतिभूति राशि जमा कराने से मुक्त होंगे।

ममलों में समर्पहत किया जाएगा।

(3) प्रतिभूति निष्केप का समर्पण ; प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समर्पहत किया जाएगा।

(क) जब संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।

(ख) जब निविदादात सम्पूर्ण सप्लाई सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

(ग) प्रतिभूति निष्केप को समर्पहत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस सम्बन्ध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

(4) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने का व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जाएगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपड़त (Counter foil) निःशुल्क प्रस्तुत की जाएगी।

32. (i) समस्त माल रेलवे या गुड्स ट्रांसपोर्ट के जरिए भाड़ा चुका कर भेजा जाएगा। यदि सामान भेज दिया जाता है तथा उसका भाड़ा चुकाना हो तो प्रदायकर्ता (सप्लायर) के बिल में से उस भाड़े के 5 प्रतिशत की दर से विभागीय प्रभारों की भी वसूली की जाएगी ।

(ii) आर.आर. (R.R.) केवल बैंक के माध्यम से रजिस्टर्ड लिफाफे में भेजी जानी चाहिए

(iii) यदि क्रेता अधिकारी माल को पेसेन्जर ट्रेन से भिजवाने की इच्छा करता है तो सम्पूर्ण रेल का भाड़ा विभाग द्वारा वहन किया जायेगा ।

निविदादाता के हस्ताक्षर

(iv) भुगतान करने के लिए प्रेक्षण प्रभार (Remittance Charges) निविदादाता द्वारा वहन किये जायेंगे ।

33. बीमा :-

(1) सामान गन्तव्य गोदाम पर सहि दषा मे सुपूर्द किये जायेंगे । यदि सप्लायर चाहे तो वह मूल्यवान सामान को चोरी, नाप या क्षय द्वारा या आग, बाढ़, मौसम मे घड़ रहने के कारण या अन्यथा (जैसे : युद्ध, विद्रोह, दंगे आदि) द्वारा हानि से बचाने के लिए बीमा करा सकेगा । यह बीमा प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा । तथा यदि इसे व्यय किये जाते हैं तो राज्य से इन प्रभारों का भुगतान करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी ।

(2) यदि केता द्वारा चाहा गया हो तो केता की लागत पर भी इन वस्तुओं का बीमा कराया जायेगा । ऐसे मामलों मे बीमा सदैव भारतीय जीवन बीमा निगम या उसकी सहायक शाखाओं से कराया जाना चाहिए ।

34. भुगतान :-

(1) दुर्लभ एवं विशिष्ट मामलों के सिवाये अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा । यदि अग्रिम भुगतान किया जा रहा हो तो वह माल प्रेक्षित करने के सबूत पर तथा रेल/प्रतिष्ठित गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनियों आदि द्वारा वित्तिय शक्तियों मे विहीत की गई सीमा तक तथा पूर्ण निरक्षण, यदि कोई हो, किये जाने पर दिया जायेगा । अवधेष राषि का भुगतान माल अच्छी हालत मे प्राप्त होने पर तथा निविदादाता को नहीं दिये गये उस संबंध का प्रमाण पत्र निरीक्षण के समय पृष्ठांकित किये जाने पर दिया जायेगा ।

(2) जब तक पक्षकारों के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाये, सामान की सुपुर्दगी के लिए भुगतान निविदादाता द्वारा केता अधिकारी को उचित प्ररूप मे सामान्य वित्तिय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जायेगा तथा सभी प्रेक्षण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किये जायेंगे ।

(3) विवादास्पद मदों के सम्बन्ध मे, राषि के 10 से 25 प्रतिष्ठत तक को रोका जायेगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान कर दिया जायेगा ।

(4) उन मामलों के सम्बन्ध मे जिनमे परीक्षण करने की जरूरत है, भुगतान तभी किया जायेगा जब वे परीक्षण कर लिये जायेंगे तथा प्राप्त हुए परीक्षण परीणाम विहित स्पेशिफिकेशन के अनुरूप होंगे ।

35. (1) निविदा प्रपत्र मे सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप मे समझा जायेगा तथा सफल निविदादाता केता अधिकारी से फर्म ऑर्डर के प्राप्त होने से अवधि के भीतर सप्लाई करेगा ।

(2) परीनिर्धारित क्षति (Liquidated damages) :- परीनिर्धारित क्षति के साथ सुपुर्दगी अवधि मे वृद्धि करने के मामले मे, वसूली निम्नलिखित प्रतिष्ठता के आधार पर उन स्टोर के मूल्यों के लिए की जायेगी जिनकी निविदादाता सप्लाई करने मे असफल रहा है :-

(1) (क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2.

5 %

(ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनधिक के लिए 5 %

(ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनधिक अवधि के लिए 7. 5 %

(घ) विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए 10 %

(2) विलम्ब की अवधि मे आधे दिन से कम भाग को छोड़ दिया जायेगा ।

(3) परीनिर्धारित क्षति की अधिकतम राषि 10 प्रतिशत होगी ।

(4) यदि प्रदायकर्ता (सप्लायर) किन्ही बाधाओं के कारण संविदात्तर्गत माल की सप्लाई को पूरा करने के लिए समय मे वृद्धि करना चाहता है, तो वह लिखित मे उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी हेतु आदेश दिया है किन्तु वह उसके लिए निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा ।

निविदादाता के हस्ताक्षर

(5) यदि माल की सप्लाई करनें में उत्पन्न हुई बाधा निविदादाता के नियंत्रण से परे कारणों से हुई हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परीनिर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सकेगी ।

36. वसूलियाँ :- परिनिर्धारित क्षयों, कम सप्लाई, टूट फूट, रद्द की गई वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जायेगी । कम सप्लाई, टूट फूट, रद्द किये गये मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि सप्लायर संतोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है तो परिनिर्धारित क्षय(लिकिवडेट डेमेजेज) के साथ वसूली उसकी देय राशि (Dues) एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निष्केप से की जायेगी । यदि वसूली करना संभव न हो तो राजस्थान पी.डी.आर. एक्ट या प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्रवाई की जायेगी ।

37. निविदादाताओं को यदि आवश्यक हो तो आयात लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अपनी स्वयं की व्यवस्था करनी चाहिए ।

38. यदि निविदादाता एसी शर्त आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है, तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जायेगा । किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जायेगा जब तक की केता अधिकारी द्वारा जारी किये गये निविदा स्वीकृति के पत्र में विषेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो ।

39. केता अधिकारी किसी भी निविदा को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नहीं हैं, स्वीकार करनें, बिना कोई कारण बतलाये किसी भी निविदा को रद्द करनें या जिन वस्तुओं के लिए निविदादाता ने निविदा दी है, उन सबके लिए या किसी एक या अधिक के लिए निविदा को स्वीकार करनें या एक फर्म/सप्लायर से अधिक को स्टोर्स की मदों को वितरित करनें के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा ।

40. निविदादाता करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा :—

- (1) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (पार्टनरशिप डीड) की एक अभिप्रामाणित प्रति
- (2) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष
- (3) एकमात्र स्वामित्व के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता, टेलीफोन नम्बर
- (4) कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र

41. यदि संविदा के निर्वचन (Interpretation), आशय या संविदा की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले को विभागाध्यक्ष को भेजा जायेगा जो उस विवाद के लिए एक मात्र मध्यस्थ (सोल आर्बिट्रेटर) के रूप में अपने वरिष्ठतम उपअधिकारी की नियुक्ति करेगा यह उपअधिकारी इस संविदा से समबद्ध नहीं होगा तथा उसका निर्णय अन्तिम होगा ।

42. समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार (सरकार या ठेकेदार) द्वारा राजस्थान में स्थित न्यायालयों में ही पेष की जायेगी अन्यत्र पेष नहीं की जायेगी ।

निविदादाता के हस्ताक्षर

राजस्थान सरकार
कार्यालय प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, कोटा।
जी—शिड्यूल (सफाई कार्य) वर्ष 2018–19

ठेकेदार द्वारा संस्थान में निम्न सफाई कार्य प्रतिदिन कराने होंगे :—

- राजकीय पोलिटेक्निक महाविद्यालय कोटा परिसर में स्थित समस्त शौचालय एवं संस्थान के अन्दर के बरामदे गलियारे , दीवारों खिड़की दरवाजों की सफाई एवं जाले आदि तथा संस्थान के अन्दर स्थित सड़कें तथा दोनों मुख्य द्वार से लेकर पीछे नाले तक की सड़कों की नियमित सफाई करने का कार्य करना होगा ।
- संस्थान में दोनों मुख्य द्वार से पीछे नाले तक, जंगली झाड़ियाँ तथा छोटे मोटे जंगली वृक्ष को समय समय पर काटकर सफाई करनी होगी। उपर की समस्त छतों की सफाई एवं जंगली झाड़ियाँ उगी हुई हो तो उसे भी काटना होगा। इस कार्य हेतु अनुबन्धकर्ता को झाड़ू, पौछा, सींक—झाड़ू, कुलहाड़ी, फावड़ा, ठेला, तगारी, ट्रोली इत्यादि स्वयं को लाना होगा। अनुबन्धकर्ता को साल में ४ बार अन्य सफाई कार्य के लिये चार घन्टे प्रति विजिट के लिए जे.सी.बी. मर्शीन लगाना होगा। संस्थान में यदि किसी उच्च अधिकारी या जन प्रतिनिधि का दौरा होता है तो उस दौरान विशेष कार्मिक लगाकर सफाई कराना होगा। गण्ठन्त्र दिवस / स्वतंत्रता दिवस के मौके पर विशेष साफ सफाई करवानी होगी जिसके लिए आपको दो दिन पूर्व संस्थान के सम्पदाधिकारी द्वारा निर्देश प्रदान कर दिये जावेंगे।
- संस्थान के समस्त शौचालय एवं सीवरेज चेम्बर के चौक होने पर उन्हें चालू करना होगा अनुबन्धकर्ता को संस्थान से शौचालयों की सफाई हेतु एसिड फिनाईल सर्फ ही उपलब्ध कराया जावेगा।
- अन्य सभी सफाई कार्य जो संस्थान प्रधान द्वारा बतायें जायें। उक्त कार्य के लिए 40 श्रमिक घण्टे (Labour Hour) प्रतिदिन में सम्पादित करना होगा।

मैंने उपरोक्त सभी शर्तों को पढ़ एवं समझ लिया है, जो मुझे स्वीकार है।

वार्षिक अनुमानित लागत :

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर

पता:
.....
.....

RST/CST/TIN NO.

मोबाईल न.

राजस्थान सरकार
कार्यालय प्रधानाचार्य राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, कोटा ।

निविदा सूचना संख्या— 1/2018–19

निविदा शर्ते :-

1. राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफडी/सा.नि.वि/93/11/38–95 दिनांक 23–11–95 के अनुसार रजिस्टर्ड सोसायटी/कॉर्पोरेटिव सोसायटी/रजिस्टर्ड ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता से निविदा आमंत्रित की जाती हैं।
2. निविदादाताओं को श्रम विभाग के पैंजीयन प्रमाण पत्र तथा केन्द्र सरकार के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी सेवाकर पैंजीयन प्रमाण पत्र की छाया प्रति निविदा के साथ संलग्न कर प्रेषित करनी अनिवार्य होगी। अन्यथा इन प्रमाण पत्रों के अभाव में निविदा निरस्त समझी जावेगी।
3. सशर्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।
4. दरें स्याही/टंकण द्वारा स्पष्ट रूप से अंकों तथा शब्दों में लिखें। दरों के उपरीलेखन की स्थिति में निविदादाताओं को उपरीलेखन पर लघु हस्ताक्षर करनें अनिवार्य हैं।
5. मोहरबन्द निविदाएँ दिनांक 15–03–2018 को दोपहर 2.00 बजे तक स्वीकार की जायेगी। इसके पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। **निविदा लिफाफे पर सन्दर्भ जी.पी.के./क्य/एन.जी.एफ./खु.नि.सं. 1 / 2018–19/6698 दिनांक 23–02–2018 अंकित करे।**
6. प्राप्त निविदाएँ दिनांक 15–03–2018 को दोपहर 3.00 बजे प्रधानाचार्य कक्ष में समिति तथा उपस्थित इच्छुक निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी।
7. किसी सफाई कर्मी के अनुपस्थित रहने पर उसको अनुपस्थित रहे दिनों की देय राशि का दुगना भुगतान से काट लिया जावेगा। यदि संवेदक का कार्य असंतोष जनक पाया जाता है तो प्रथम असंतोष पर उसे नोटिस दिया जाकर कार्य की गुणवत्ता में सुधार हेतु एक सप्ताह का समय दिया जावेगा। दूसरे असंतोष पर देय माह की राशि का 10% काट पुनः गुणवत्ता सुधार का अवसर प्रदान किया जावेगा। तीसरे असंतोष पर देय माह की राशि का 20% काट पुनःएक सप्ताह में गुणवत्ता अपेक्षित रहेगा। तीन नोटिस के पश्चात भी कार्य सुधार की गुणवत्ता असंतोषजनक पाई जाती है तो अनुबन्ध निरस्त करने का आदेश जारी किया जावेगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी संवेदक (निविदादाता) की होगी।
8. निविदादाता ठेके का सम्पूर्ण अथवा आंशिक भाग किसी अन्य व्यक्ति को स्थानान्तरित नहीं कर सकेगा।
9. निविदा में उल्लेखित किसी भी कार्य को बिना कारण बताये संस्था के हित में आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता है जिसके लिए कोई अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा।
10. अनुबन्धकर्ता को प्रतिदिन संस्था में प्रधानाचार्य के निर्देशानुसार न्यूनतम 8 घन्टे में सफाई कार्य सम्पन करना होगा। सफाई का कार्य संस्था के सचालन समय 1 अप्रैल से 30 जून तक प्रातः 6.30 बजे से 1.30 बजे तक एवं 1 जुलाई से 31 मार्च तक प्रातः 8.00 बजे से 4.00 बजे तक करना होगा।

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर

11. महाविद्यालय में किसी भी प्रकार की सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में राशि अनुबन्धकर्ता से वसूल की जायेगी। नुकसान की राशि का निर्धारण प्रधानाचार्य द्वारा गठित कमेटी द्वारा किया जावेगा ।
12. अनुबन्धकर्ता या उसके सफाई कर्मी द्वारा संस्था में कोई भी अशोभनीय हरकत की गई तो उसके विरुद्ध संस्था द्वारा की गई कार्यवाही के लिए अनुबन्धकर्ता स्वयं जिम्मेदार होगा ।
13. अनुबन्धकर्ता को निविदा में अंकित की गई मासिक दर/पारिश्रमिक के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार का भुगतान कार्यालय / संस्था द्वारा देय नहीं होगा ।
14. अनुबन्धकर्ता को सफाई एवं अन्य कार्य हेतु झाड़ू , पौछा , तगारी , बाल्टी , मग , ब्रुश, फावड़ा , कुल्हाड़ी , जी.आई तार एवं ठेला आदि सामग्री स्वयं लानी होगी । उक्त किसी भी सामग्री हेतु संस्था द्वारा किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जायेगा । संस्था द्वारा केवल सफाई कार्य हेतु फिनायल एवं एसिड उपलब्ध कराया जायेगा । जिसका सफाई कार्य हेतु उपयोग किया जाना आवश्यक है ।
15. अनुबन्धकर्ता द्वारा निश्चित अवधि में कार्य प्रारम्भ न करने की स्थिति में दूसरें न्यूनतम दर वाले निविदादाता को कार्य करने के आदेश दे दिये जायेंगे और यदि अनुबन्धकर्ता नें बीच में कार्य करना बन्द कर दिया या छोड़ दिया तो ऐसी स्थिति में कार्य दुसरे व्यक्ति से करवाया जायेगा जिसकी अन्तर राष्ट्रि अनुबन्धकर्ता से वसूल की जायेगी । उक्त अन्तर राशि अनुबन्धकर्ता द्वारा निर्धारित अवधि में जमा नहीं कराने पर यह राशि उसकी धरोहर राशि में से काट ली जायेगी ।
16. अनुबन्ध की अवधि अनुबन्ध किये जाने की तिथि से एक वर्ष तक मान्य होगी । यह अवधि समाप्त होने पर एवं गत कार्य सन्तोषजनक पाये जाने पर निविदा की कार्य अवधि पूर्व की दर एवं शर्तों के अधीन छ: माह तक बढ़ाई जा सकती है ।
17. अनुबन्धकर्ता द्वारा माह समाप्ति पर प्रस्तुत बिल प्रधानाचार्य द्वारा मनोनित अधिकारी / कर्मचारी द्वारा कार्य मुल्यांकन के आधार पर प्रमाणित करने के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा ।
18. अनुबन्ध की अवधि में श्रम विभाग द्वारा न्यूनतम मजदूरी दर में परिवर्तन किये जाने पर देय अतिरिक्त राशि का भुगतान में समावेश किया जावेगा । सफाई कर्मियों को संस्था की ओर से वर्दी व वैतनिक अवकाश देय नहीं होगा ।
19. संस्था परिसर में Job basis पर वार्षिक अनुबन्ध के दौरान कार्य करते समय किसी भी प्रकार की प्राकृतिक एवं अप्राकृतिक आकस्मिक दुर्घटना से होनें वाली क्षति के लिए संस्था जिम्मेदार नहीं होगी ।
20. अनुबन्ध के तहत Job basis पर की गई सेवा/कार्य के लिए किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही मान्य नहीं होगी ।
21. अनुबन्ध के तहत सफाई के दौरान निकले कचरे आदि को संस्था के बाहर नगर निगम द्वारा निर्धारित कचरा पॉइन्ट पर ही डालना होगा ।

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर

22. ठेकेदार द्वारा संस्थान में निम्न सफाई कार्य प्रतिदिन कराने होंगे :-

- राजकीय पोलिटेक्निक महाविद्यालय कोटा परिसर में स्थित समस्त शौचालय एवं संस्थान के अन्दर के बरामदे गलियारे , दीवारों खिड़की दरवाजों की सफाई एवं जाले आदि तथा संस्थान के अन्दर स्थित सड़कें तथा दोनों मुख्य द्वार से लेकर पीछे नाले तक की सड़कों की नियमित सफाई करने का कार्य करना होगा ।

संस्थान में दोनों मुख्य द्वार से पीछे नाले तक, जंगली झाड़ियाँ तथा छोटे मोटे जंगली वृक्ष को समय समय पर काटकर सफाई करनी होगी । उपर की समस्त छतों की सफाई एवं जंगली झाड़ियां उगी हुई हो तो उसे भी काटना होगा । इस कार्य हेतु अनुबन्धकर्ता को झाड़ू, पोंछा, सीक-झाड़ू, कुलहाड़ी, फावड़ा, ठेला, तगारी, ढोली इत्यादि स्वयं को लाना होगा । अनुबन्धकर्ता को साल में छः बार अन्य सफाई कार्य के लिये चार घन्टे प्रति विजिट के लिए जे.सी.वी. मशीन लगाना होगा । संस्थान में यदि किसी उच्च अधिकारी या जन प्रतिनिधि का दौरा होता है तो उस दौरान विशेष कार्मिक लगाकर सफाई कराना होगा । गण्टन्त्र दिवस /स्वतंत्रता दिवस के मौके पर विशेष साफ सफाई करवानी होगी जिसके लिए आपको दो दिन पूर्व संस्थान के सम्पदाधिकारी द्वारा निर्देश प्रदान कर दिये जावेंगे ।

संस्थान के समस्त शौचालय एवं सीवरेज चेम्बर के चौक होने पर उन्हें चालू करना होगा अनुबन्धकर्ता को संस्थान से शौचालयों की सफाई हेतु एसिड फिनाईल सर्फ ही उपलब्ध कराया जावेगा ।

- अन्य सभी सफाई कार्य जो संस्थान प्रधान द्वारा बतायें जायें । उक्त कार्य के लिए 40 श्रमिक घण्टे (Labour Hour) प्रतिदिन में सम्पादित करना होगा ।

23. निविदा के साथ रु0 7000/-धरोहर राशि के रूप में जमा करवाने होंगे । धरोहर राशि के अभाव में निविदा निरस्त कर दी जायेगी । धरोहर राशि नकद /बैंकर्स चैक /बैंक ड्रॉफ्ट के रूप में स्वीकार की जायेगी । बैंकर्स चैक/बैंक ड्रॉफ्ट जो प्रधानाचार्य राजकीय पोलीटेक्निक महाविद्यालय कोटा के पक्ष में जारी किया हुआ हों, तथा कोटा में देय हों ।

24. निविदा स्वीकृत होने पर सफल निविदादाता को कार्य आदेश के पाँच प्रतिशत राशि धरोहर राशि के रूप में जमा करवानी होगी । पूर्व में जमा धरोहर राशि का समायोजन इस राशि में कर लिया जायेगा । इस राशि पर ब्याज का भुगतान नहीं किया जायेगा । यह राशि नकद /बैंकर्स चैक /बैंक ड्रॉफ्ट के रूप में स्वीकार की जायेगी । बैंकर्स चैक/बैंक ड्रॉफ्ट जो प्रधानाचार्य राजकीय पोलीटेक्निक महाविद्यालय कोटा के पक्ष में जारी किया हुआ हों, तथा कोटा में देय हों ।

25. निविदादाता कार्य आदेश के सात दिवस में रुपये 500.00 के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप में अनुबन्ध करना होगा, जिसका व्यय निविदादाता को वहन करना होगा ।

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर

- 26 ठेकेदार को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक पिछले माह का बिल प्रस्तुत करना होगा। विपत्र अधिकारी के सत्यापन के पश्चात् बजट उपलब्ध होने पर ही भुगतान की कार्यवाही को अमल में लाया जायेगा।
27. बिल पर नियमानुसार आयकर काटा जायेगा।
28. विवाद की स्थिति में कोई वाद न्यायिक क्षेत्र कोटा न्यायलय कोटा के अधीन होगा।
- 29 ठेके की अवधि में लागू सभी राज्य/केन्द्र सरकार के कानूनों (संशोधन सहित) के पालन करने का दायित्व निविदादाता का होगा।
30. स्वीकृत दरें सभी करों राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा लागू किये/भविष्य में लगाये जाने वाले, कर सहित होंगी।

मैंने उपरोक्त सभी शर्तों को पढ़ एवं समझ लिया है, जो मुझे स्वीकार है।

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर

पता:—

मोबाइल न.